दिनांक 26.09.2014 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- **बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक–2182/110/तीन/97–VI, दिनांक 19.09.2014** द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय।

(कार्यवाही समस्त डूडा–उ0प्र0)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के अंतर्गत चयनित 82 शहरों के उपस्थित सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सी0पी0ओ0) को निर्देशित किया गया कि एन0यू0एल0एम0 की एम0पी0आर0 जिसका प्रारूप सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर उपलब्ध है, को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रत्येद दशा में सूडा को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना उनका दायित्व है। यदि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता प्राप्त होती है तो संबंधित सी0पी0ओ0 के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही समस्त सी0पी0ओ0–एन0यू0एल0एम0 शहर)

- **कम्पयूटर ज्ञान की समीक्षा** – जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा एवं समस्त सी0पी0ओ0, एन0यू0एल0एम0 शहर समय–समय पर कम्प्यूटर की जानकारी अवश्य प्राप्त करते रहें।

स्वच्छ भारत सप्ताह (Clean India Week) अभियान

- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–322सीएम/नौ–5–2014–355सा/14, दिनांक 22 सितम्बर, 2014 में दिये गये निर्देशों के कम में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षा के अनुपालन में दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर देश के शहरी क्षेत्रों में शत–प्रतिशत स्वच्छता का लक्ष्य को प्राप्त किये जाने संबंध में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जानी है। दिनांक 25 सितम्बर, 2014 से 02 अक्टूबर, 2014 के दौरान स्वच्छ भारत सप्ताह (Clean India Week) अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्ण प्रयास किया जाय। इस संबंध में बैठक में सभी उपस्थित परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी एवं सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सी0पी0ओ0) को मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 के उक्त पत्र दिनांक 22.09.2014 के अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये साथ ही इस संबंध में समस्त जिला नगरीय विकास अभिकरणों को निर्गत सूडा के पत्रांक–2232/241/तीन/एन0यू0एल0एम0/2014, दिनांक 24.09.2014 की प्रति उपलब्ध करायी गयी तथा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त दिशानिर्देश सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर उपलब्ध है।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

सरेण्डर के उपरान्त जनपदों से अप्राप्त संशोधित डी0पी0आर0

- बी0एस0यू0पी0/आई0एच0डी0पी0 के अंतर्गत जनपद अलीगढ़, अमेठी, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, कन्नौज, कुशीनगर, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, बस्ती, चन्दौली, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, औरैया, अमरोहा, बरेली, जी0बी0 नगर, मुरादाबाद, रामपुर की कतिपय परियोजनाओं की भारत सरकार द्वारा परियोजनान्तर्गत राज्य द्वारा प्रस्तावित सरेण्डर स्वीकृति उपरान्त मूल्यवृद्धि की संशोधित डी0पी0आर0 अभी तक सूडा को प्राप्त नहीं हुयी है, जो अत्यन्त खेदजनक है। निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के माध्यम से संशोधित डी0पी0आर0 सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें साथ ही जनपद–फर्रूखाबाद को निर्देशित किया गया कि बिना अभ्यर्पण की संशोधित डी0पी0आर0 जो संशोधित हेतु डूडा को लौटायी गयी थी, अभी तक अप्राप्त है। निर्देशित किया गया कि संशोधित डी0पी0आर0 एक सप्ताह के अन्दर सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करे।

लाभार्थी अंशदान

1. उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी अंशदान की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न जनपदों द्वारा लाभार्थी अंशदान अभी प्राप्त नहीं किया गया है–

   जनपद–आजमगढ़, एटा, हमीरपुर, ललितपुर एवं प्रतापगढ़।

   संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 7 से 10 दिन के अन्दर लाभार्थियों से अंशदान प्राप्त करना सुनिश्चित् किया जाय। कतिपय जनपदों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अंशदान का विवरण नहीं प्रेषित किया गया। अतः निर्देशित किया गया कि निर्धारित प्रपत्र पर ही विवरण प्रेषित किया जाय।

2. बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 50 बिन्दुओं पर मासिक प्रगति आख्या बैठक के दिनांक तक **जनपद बलिया, फर्रूखाबाद, ललितपुर एवं सीतापुर** द्वारा प्रेषित नहीं की गयी। संबंधित जनपदों को कड़े निर्देश दिये गये कि समय से मासिक प्रगति आख्या सूडा को उपलब्ध कराये। सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि समयानुसार न प्रेषित किये जाने वाले जनपदों की पत्रावली प्रेषित की जाय।
3. बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 की 50 बिन्दुओं पर एम0पी0आर0 भेजे जाने के संबंध में योजना से आच्छादित समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अलगे माह से प्रत्येक दशा में माह की 05 तारीख तक एम0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
4. जनपदों द्वारा योजनान्तर्गत अभी भी आवासों के आवंटन की कार्यवाही पूरी नहीं की गयी है। अतः इस संबंध में सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि समस्त संबंधित जनपदों को आवास आवंटन हेतु पत्र प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही संबंधित सूडा/डूडा)

राजीव आवास योजना

- राजीव आवास योजना के अंतर्गत बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 के के प्रतिनिधि को स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत तत्काल गतिशीलता लाये जाने के निर्देश दिये गये।
- योजनान्तर्गत चयिनत 21 शहरों को दिनांक 15.09.2014 को शहरी स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार के मध्य एम0ओ0ए0 हस्ताक्षरित कराया जाना था। उक्त 21 शहरों में से मात्र 07 (सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, रामपुर, कन्नौज, अलीगढ़, रायबरेली तथा कानुपर नगर) नगरों के ही एम0ओ0ए0 प्राप्त हुये है, शेष 14 नगरों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर एम0ओ0ए0 नगरीय निकाय से हस्ताक्षरित कराकर प्रत्येक दशा में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा प्रगति पर कार्यदायी संस्था से असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि तत्काल उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित् करायें। यह भी निर्देशित किया गया कि विकास एजेण्डा वर्ष 2014–15 के अंतर्गत इस योजना की भी शासन स्तर पर उच्च स्तीरय अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया है।

- शासन के पत्र संख्या–1934/69–1–2014–14(48)/14, दिनांक 19.09.2014 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार योजनान्तर्गत अनारम्भ आवासों के कारण की जानकारी सहित समय–सीमा (Time Line) तैयार कर शासन को **दो दिन के अन्दर** उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। जिसके कम में सी0 एण्ड डी0एस0 से अनारम्भ आवासों के कारण की जानकारी सहित समय–सीमा (Time Line) तैयार कर तत्काल शीर्ष प्राथमिकता पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सूडा द्वारा अपेक्षा की गयी थी। किन्तु अभी तक सूचना अप्राप्त होने के कारण शासन को सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है। कार्यदायी संस्था को कड़े निर्देश दिये गये कि तत्काल सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- कार्यदायी संस्था उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बागपत के खेकड़ा की परियोजना के अंतर्गत भूमि की चौड़ाई काफी कम है जिसके कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में परियोजना अधिकारी, बागपत को निर्देशित किया गया कि समस्त प्रपत्रों एवं संबंधित उप जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के साथ अभिकरण मुख्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित् करें।

- संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन–सी–टू आवास निर्माण कराये जाने के संबंध में यथाशीघ्र शासनादेश निर्गत किया जा रहा है। उनके द्वारा पुनः समस्त परियोजना अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को विस्तार से आसरा योजनान्तर्गत इन–सी–टू परियोजना के संबंध में अवगत कराया गया।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

- पूर्व वर्षों से संचालित, "रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना" के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अद्यतन अप्राप्त होने की स्थिति को आपत्तिजनक बताया गया। विगत मासिक समीक्षा बैठकों में दिये गये सतत् निर्देश के बाद भी किसी भी जनपद से अपेक्षित जानकारी प्राप्त न होने के संबंध में निदेशक महोदय द्वारा यह निर्देशित दिये गये कि इस संबंध में समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

(कार्यवाही–सूडा)

- प्रदेश के पंजीकृत निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के कियान्वयन के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–35, दिनांक 24.01.2013 में पात्रता हेतु निर्धारित कट–ऑफ–डेट दिनांक 30.04.2012 को शासनादेश संख्या–1283, दिनांक 26.06.2014 के द्वारा संशोधित करते हुए 31.03.2013 किया जा चुका है। इस संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से त्वरित एवं समयबद्ध अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित निर्गत किये जा चुके है। यह निर्देशित किया गया कि यथा निर्धारित संशोधित कट–ऑफ–डेट तक नगरीय निकायों में पंजीकृत रिक्शा चालकों का सर्वेक्षण एवं सत्यापन का कार्य दो माह मे पूर्ण कराकर दिनांक 30.08.2014 तक शासन एवं निदेशालय को सूची प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् किया जाय। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अधिकतर जनपदों से वांछित सूचना प्राप्त न होने के प्रति सचेत करते हुए पुनः निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों से सूचना अप्राप्त है वे अपेक्षित सूचित सूची की हार्ड एवं साफ्ट कापी एक सप्ताह के अन्दर अभिकरण को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जनपदों द्वारा कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। निर्देशित किया गया है कि उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

- भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना समाप्त कर राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) योजना प्रारम्भ की गयी है। एन0यू0एल0एम के विभिन्न उप घटकों के संबंध में समय–समय पर समस्त जनपदों को पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहा है।

- बैठक में उपस्थित सभी सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सी0पी0ओ0), चयनित एन0यू0एल0एम0 शहर को निर्देशित किया गया कि लगभग आधा वित्तीय वर्ष व्यतीत हो चुका है। अतः समस्त उपघटकों में प्रगति लाना सुनिश्चित् करें साथ ही योजना की एम0पी0आर0 प्रत्येक माह की 05 तारीख को प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराना उनका दायित्व है। अतः समय से एम0पी0आर0 प्रेषित करना सुनिश्चित् करें।

- योजना के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH)) के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि शासनादेश संख्या–1514/69–1–2014–39(बजट)/13, दिनांक 11.08.2014 द्वारा सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जा चुका है। अतः तत्काल दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। इसमें किसी भी प्रकार शिथलता क्षम्य नहीं होगी। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि दिशानिर्देशों के अनुरूप तत्काल प्रस्ताव तैयार कराकर सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- योजना के उप घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (Social Mobilisation and Institution Development (SM&ID)) के अंतर्गत शहरी आजिविकास केन्द्र (सी0एल0सी0) के स्थापना हेतु समस्त चयनित एन0यू0एल0एम0 शहर के सी0पी0ओ0 एवं परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को अब इस योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। अतः योजनान्तर्गत आवेदनों को एन0यू0एल0एम0 के दिशानिर्देशों के अनुरूप जनपदीय टास्कफोर्स के माध्यम से बैंकों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् कराते हुये स्वीकृति कराने की कार्यवाही की जाय।

- समस्त उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि आर0बी0आई0 द्वारा निर्गत दिशानिर्देश सूडा की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसकी प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

<u>आई0एल0सी0एस0</u>

- योजनान्तर्गत जनपद बरेली को निर्देशित किया गया कि तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- योजना के अंतर्गत जिन जनपदों द्वारा धनराशि वसूल की जानी थी किन्तु अभी तक धनराशि वसूल नहीं की गयी है, को निर्देशित किया गया कि तत्काल वसूली में तेजी लाना सुनिश्चित् किया जाय अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

<u>स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना</u>

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जैसा कि जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा कि उपलब्ध धनराधि तत्काल सूडा को उपलब्ध करायें किन्तु अभी भी जिन जनपदों द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये है, एसे समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि आगामी एक सप्ताह में धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप) के अन्तर्गत प्रशिक्षण उपरान्त लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना है। इस संबंध में समय–समय पर दिशा–निर्देश भी निर्गत किये जा चुके है। अतः निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टास्क फोर्स से जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले स्थल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न कराया गया हो और न ही भुगतान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण–पत्र भी ले लिया जाय। डूडा की शासी निकाय से इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।

- उक्त योजनान्तर्गत जनपदों द्वारा धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त ही अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय अन्यथा कार्य न प्रारम्भ किये जाने के संबंध में सूडा के संबंधित पटल द्वारा कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

- उक्त योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों को निरन्तर निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। जनपद – बलिया, लखनऊ, मेरठ, एवं वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि व्यय हो चुकी है उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही प्रेषित कर दिये जायेगें। संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि द्वारा यू0सी0/धनराशि सूडा को अभी तक उपलब्ध नही करायी गयी है, एक सप्ताह के अन्दर निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही संबंधित डूडा)

स्लम सर्वे तथा एस0सी0एस0पी0

- प्रश्नगत परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित प्रारूप पर समस्त जनपद वांछित सूचना तत्काल अभिकरण को उपलब्ध करायें, परन्तु अधिकांश जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी। इस प्रकरण पर निदेशक महोदय द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। कड़े निर्देश दिये गये कि समस्त जनपद एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। वांछित अवधि में सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

- स्लम सर्वे मद में जनपदों धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं निर्देशित किया गया था कि तत्काल कार्य पूर्ण कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस मद में अभी भी कतिपय जनपदों में धनराशि/उपयोगिता प्रमाण

पत्र अवशेष है जो कि खेदजनक है। जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। समीक्षा में जनपद–सीतापुर, वाराणसी तथा कुशीनगर में बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध है। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया कि 3 से 5 दिन के अन्दर धनराशि सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें अन्यथा सूडा का लेखानुभाग कार्यवाही प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त ऐसे जनपद जहां पर काफी कम धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने है, को भी निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित् करें। सूडा के लेखा पटल को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित जनपदों से धनराशि का मिलान करालें एवं कड़े पत्र भी प्रेषित करें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

बैलेन्स शीट

- वर्ष 2013–14 की बैलेन्स शीट जिन जनपदों द्वारा जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ऐसे समस्त जनपदों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करायें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा है कि बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत् किया जाय, किन्तु कतिपय जनपदों को छोड़कर इसका अनुपालन सुनिश्चित् नहीं किया जा रहा है। कड़े निर्देश दिये गये कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर सूडा को उपलब्ध करायी जाय।
- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि डूडा द्वारा कराये जा रहे कार्यों की ओवर लैपिंग अर्थात दूसरे विभाग द्वारा भी वही कार्य कराया जाय, ऐसा न होना सुनिश्चित् किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पहले जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि किसी अन्य योजना में कार्य नहीं कराया गया है।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि डूडा द्वारा जनपद में कराये जाने वाले कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित् की जाय और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता

रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय–समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित् किया जाये।

- समस्त जनपदीय अधिकारी अपने से संबंधित नगर निकायों के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखें व योजना को कियान्वित करायें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 2366 /110/तीन/97 Vol-VI दिनांक– 13/10/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एन0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
8. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
9. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
10. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
11. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड करने हेतु।

10/10/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक